>

Title: Motion for consideration of the Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill,2021 (Bill passed).

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चंद गहलोत): मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि तमिलनाडु राज्य में अनुसूचित जातियों की सूची को उपांतरित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

माननीय सभापति : आप इस पर कुछ बोलेंगे ।

प्रो. सौगत राय (दमदम): बोलने की क्या जरूरत है?

माननीय सभापति : संक्षेप में थोड़ा सा बोल देंगे ।

श्री थावर चंद गहलोत: सभापति महोदय, इस विधेयक में वर्तमान में तमिलनाडु राज्य की अनुसूचित जातियों की सूची में स्वतंत्र प्रविष्टियों के रूप में सूचीबद्ध सात जातियों, यथा – देवेन्द्रकुलथन, क्रम संख्या 17, कडयन, क्रम संख्या 26, कल्लादि, क्रम संख्या 28, कुडुम्बन, क्रम संख्या 35, पल्लन, क्रम संख्या 50, पन्नाडी क्रम संख्या 54 और वातिरियन क्रम संख्या 72, जातियों को समूहित देवेन्द्रकुला वेलालर के रूप में नामित करना और तिरूनेलवेली, तूतूकोड़ी, रामनाथपुरम, पुदुकोट्टई, तंजावुर, तिरूवरूर और नागापट्टनम जिले के कड्डयन जाति के सदस्यों को जो अपने आपको प्रस्तावित समूहीकरण से अलग रखना चाहते हैं, को इससे अलग रखकर क्षेत्र प्रतिबंध लगाना है । इस विधेयक द्वारा न

तो कोई जाति शामिल की जा रही है और न कोई जाति विलोपित की जा रही है ।

इस प्रस्ताव द्वारा इन 7 समुदायों को रीग्रुप करके उनके सदस्यों की आकांक्षाओं को पूरा करना है, ताकि उन्हें समाज में और अधिक सम्मान मिल सके । मैं माननीय सदन से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस पर विचार करे । मैं बाद में विस्तृत जवाब दूंगा ।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि तमिलनाडु राज्य में अनुसूचित जातियों की सूची को उपांतरित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : सर, तमिलनाडु के कोई मेंबर यहां नहीं हैं । सब लोग चुनाव के लिए चले गए । ...(व्यवधान)

माननीय सभापति: दादा, किसी बिल के ऊपर विचार करना पूरे देश के सभी सांसदों का अधिकार है । मेरा निवेदन है कि थोड़ा-थोड़ा बोलें ।

औजला जी, संक्षेप में बोलिए ।

***SHRI GURJEET SINGH AUJLA (AMRITSAR):** I thank you sir, for giving me the opportunity to speak on the "Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill, 2021".

Sir, Hon. Baba Saheb Ambedkar ji had framed the Constitution of India and every citizen had been provided equal rights, whether it was

the matter of castes or religious. However, with the passage of time, Dalits continued to suffer. Global Index says that out of 160 countries, we are at 94th place as far as giving rights to the citizens is concerned. The poor Dalit people have found themselves at the receiving end. These people do jobs like Safai Karamcharis, daily wage labourers and manual scavenging work. They have to carry night soil manually. They have to enter severs for cleaning these. We have failed to provide technology to come to their rescue.

Social injustice and corruption against Dalits are rampant. Governments have failed to discharge their duties towards these sections on time. Whether it is 'Honour Killing' or mob – lynching, Dalits are the targets. They have been stigmatized and oppressed. The capitalists and powerful castes conspire against them and subdue them. 16.2% SCs and 8.2% STs are present in the total population.

Sir, the Education System of Dalits is in shambles. 91% children of this section of society do get admitted in nursery schools but by 10+2 stage, over 70% of these children drop-out of schools. So, education must be ensured for children of Dalit community. It they study, they will get jobs and come out of the rut of poverty.

Scholaships for SCs have been started by Captain Amarinder Singh, CM of Punjab. The Central Government Scheme was there under Shri Manmohan Singh of UPA Government. 90% money was provided by centre and 10% share was borne by the State Government. Modi ji's Government changed the norms to 60% share of Central Government and 40% share of State Government. Chairman Sir, states do not have so much resources. So, the scholarship scheme of centre fails for lack of money.

The eligibility of scholarship scheme was also been changed to Rs. 2 lakhs. Punjab Government has fixed Rs. 4 lakh as eligibility norm. The Central Government should follow suit.

In 1974, late Smt. Indira Gandhi had started Indira Awas Yojna as the Dalits did not have a roof under the sky. They had no land and no houses to live in. This Government has allowed them to get houses but they do not have ownership rights to these houses. Their lands and houses are purchased by rich and powerful sections of society. They are forcible kicked out of their lands and houses. Their rights are thus, snatched away.

This bill has been brought by the Union Government for deriving political gains keeping in view the Tamil Nadu elections. The genuine and just needs of these deprived and marginalized sections of society must be met. Sir, maximum crimes are committed against Dalit Children and Dalit Women. 20% crimes are perpetrated against women in India but in the case of Dalit women, this ratio is 35%. Maximum crimes are being committed against Dalits in U.P. and M.P. is not far behind in this matter. In Hathras, a Dalit lady was abused and killed and she was cremated in a hush-hush way without even allowing the presence of her parents. No one was arrested. Rahul Gandhi ji and Priyanka Gandhi ji went to the place and demanded justice for this hapless girl. Elsewhere too, such incidents have taken place. …(Interruption)

Wherever, it happens, it is bad. In Gujarat too, such incidents have taken place. It is the land of our Prime Minister …. (Interruption)

When your turn comes, do speak.

HON. CHAIRPERSON: Please sit down.

SHRI GURJEET SINGH AUJLA : I know, you survive only anti-Congression

Sir, Article 14 says :

Article 14 of India's Constitution ensures equality by providing that the State shall not deny to any person equality before the law or equal protection of law within the territory of India.

Article 15(1) says that State shall not discriminate against any citizen on ground only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them.

Article 53 says that the state is free to make any special provision for women and children.

Hon. Chairman Sir, the judicial system is very slow. Cases in courts are pending and justice is provided to a miniscule minority. Supreme Court has asked for fast track courts to be set up. We all know that reality is different.

Central Government had promised that fast-track courts will be set-up but nothing has been done till now. Crimes against Dalits should be registered in separate police stations. 1,26,229 crores has been earmarked for this section by Hon. Minister Shri Thawar Chand Gehlot. We provide them money. But, education, health and good working environment should be provided to them.

Dalits are doing manual scavenging work which is stigmatized. So, technology must be developed so that machines do such degrading work. We talk about 5 trillion economy but what about these deprived sections of society?

Thank you.

SUSHRI SUNITA DUGGAL (SIRSA): Hon. Chairperson, Sir, I thank you for bestowing on me the opportunity to speak on the Bill amending the Constitution (Scheduled Caste) Order 1950 to modify the list of Scheduled Castes in the State of Tamil Nadu. According to this, seven sub-castes that are to be encompassed, such as Pallan, Pannadi, Kudumban, Vathiriyan, Kadaiyan, Kalladi, and Devendrakulathan, are to be now called as Devendrakula Velalar. The Devendrakula Velalar people traditionally belong to the agricultural community. These people are part of very ancient agricultural Tamil title 'Velalar'.

Records also convey that they comprised a powerful cultivator and warrior clan. Literature records the mainstay of the Devendrakula Velalar as Erum Porum". 'Erum' means plough and 'Porum' means war. So, these exemplary set of people created and ploughed the Tamil Marudham land of the Tamil Moovendar kings- Chera, Chola and Pandyan emperors. They are referred to in the ancient Tamil Sangam literatures as Mallars, in epigraphical and ancient cooper plate records as Kudumbar and Devendrar, and socially as Pallar or Pallan currently.

Writers and researchers like Deva Aseervadham, Gurusamy have written about their true links with the legendary Moovendhar the three great leaders, with irrefutable proof. There is a mention in the 2000-year-old Kerala Edakkal inscriptions, Sivagangai, Poolankuruchi inscriptions. Also, the inscription was proudly mentioned by our hon. Prime Minister Narendra Modi *ji* while laying the foundation stone of the new Parliament building during December, 2020. This Kudumbu

title has been continuously inscribed even in the Devendrakula Vellalar's Thiruchendur Lord Murugan temple both in the ornaments and in the temple pillars.

The Devendrakula Vellalar have been receiving the Parivattam: first respect from the temple priest which involves tying a turban around the head amd temple car festival respects from ancient times in the most important temples of Tamil Nadu like Madurai Meenakshi Temple, Palani Murugan temple , Kovai Perur Patteeswarer temple and almost 400 other temples in Tamil Nadu.

There is a proverb Tamil: "*Devendra kulathaan vadam pidithaal ther odum*" which means only by the touch of the Devendra can all the temples' cars move. True to that, the Devendrakula Velalar still initiate all temple car pulling events till date.

सभापति महोदय, मैं एक और बात कहना चाहती हूं कि आदर और मान-सम्मान नॉलेज और स्किल का होना चाहिए । इसमें कहीं भी कोई जाति विशेष मायने नहीं रखती है । इसीलिए, किसी समय में यह कहा गया है कि-

"*जाति न पूछो साधु की*, पूछ लीजिये ज्ञान,

मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान ।"

ऐसे ही उसमें जब ये सात के सात, अगर ये चाहते हैं कि इन सभी सब-कास्ट को देवेंद्र कुला वेल्लालर कहा जाए, तो मुझे लगता है कि उसमें कहीं भी हमारे सदस्य को ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए और हमें इस तरफ आगे बढ़ना चाहिए । इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहती हूं कि इन्होंने बहुत-सा ऐसा रिकॉर्ड पेश किया है ।

अगर हम देंखें, a resolution was passed in the Law (General) Department on 12.01.1924 to the effect of nominating Thiru P.M. Kandasamy Moopanar to the Madras Legislative Council as representing the backward community of Devendra Tirukula Pallars which proves that they were a part of the Backward Classes in 1924 AD. With such rich history, culture and lineage, it was a mistake of monumental proportions on the part of the then rulers in the year 1927 to have mistakenly recommended to the British Council to include the Devendrakula Velalar in the list of Scheduled Castes.

You know about the Government of India Act, 1919. At that time, only taxpayers, land owners and educated people were allowed to vote. Under the Government of India Act, 1935, only 10 per cent of the population of India was given voting rights. This community owned lands and even voted during the British Raj. "We should have never been included into SC category", said M. Thangaraj, the President of Devendera Charitable Trust.

ब्रिटिश राज में जो डिवाइड एंड रूल का कानून चला, आप देखेंगे कि पूरे हिन्दुस्तान में सिर्फ 10 परसेंट पॉपुलेशन को वोटिंग राइट था। मुझे लगता है कि उसी की बदौलत जाति प्रथा धीरे-धीरे बढ़ती चली गई। सिर्फ कुछ लोगों को ही यह अख्तियार था कि वे वोट कर सकें। हालांकि ये सब-कास्ट यह कहती हैं कि उस समय में भी इनको वोटिंग राइट का अख्तियार था। इसी वजह से ये चाहते हैं कि इनको सात सब-कास्ट की बजाय देवेंद्र कुला वेल्लालर में एक अलग टाइटल दिया जाए।

इसके साथ-साथ मैं कहना चाहती हूं कि despite this, the British Council however passed the SC Bill and included them in the list of Scheduled Castes in the year 1936. Since this act, the Devendrakula Velalar have been the subject of humiliation and degradation by all the

means in the social, economic and political spheres of life, which is injustice in every sense of the word, despite the impressively rich culture and heritage of Devendrakula Velalar. Even the kids have not been spared humiliation and have been bullied by other students and teachers alike.

अगर हम सन् 1893 को याद करें, तब उस समय पहली बार महात्मा गांधी जी को ट्रेन से धक्का दे दिया गया था । उस समय पहली बार उन्होंने इस दर्द को महसूस किया था । मुझे लगता है कि जब उसके बाद वह भारत वापस आए थे, तब उन्होंने सबसे ज्यादा काम अनुसूचित जाति के लोगों के लिए किया था । तब उन्होंने यह बात कही थी कि 'वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाणे रे' ।

सभापति महोदय, जो छोटे बच्चे इस दर्द को महसूस करते हैं, सिर्फ इसलिए उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाए, क्योंकि वे शेड्यूल कास्ट से हैं । आप सोच नहीं सकते हैं कि उस समय उनके कोमल मन पर क्या बीतती होगी । इन सब चीजों को हमारे बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर जी, ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले जी ने बहुत ही नज़दीक से महसूस किया है । इसको महसूस करते हुए उन्होंने जिस तरह से काम किया है, उसी का यह नतीज़ा है कि आज बहुत बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति के जो सांसद हैं, विधायक हैं या राज्य सभा के सांसद हैं, वे सब चुनकर आते हैं ।

सभापति महोदया, मैं यह भी कहना चाहती हूं कि जब आदरणीय प्रधान मंत्री जी और हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से वर्ष 2015 में इसके बारे में एक पूरा डेलीगेशन मिला था और उन्होंने उनकी बातों को सुना था, तब वे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे और उन्होंने इस बात का विश्वास दिलाया और कहा कि आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम लोग इन **7** सब- कास्ट को 'देवेन्द्र कुला वेल्लालर' में रखेंगे ।

In the light of all this evidence, hon. Prime Minister and Shri Amit Shah ji first in 2015, and then in 2019 in Madurai, promised them that they will look into this. Accordingly, the Government of Tamil Nadu

constituted a Special Group to study and report on the above issue. The final anthropological report, that was submitted, conclusively said, “This Study validated the facts through historical, archaeological, literary, and empirical evidences.The ethnographic documentation of seven sub-communities has followed a scientific approach.

सभापति महोदय, मैं इसके साथ ही साथ यह भी कहना चाहती हूं कि इसमें तमिलनाडु सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है । मुझे यह लग रहा है कि हमारे आदरणीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब ने कल भी इसका जिक्र किया था कि किस तरह से वहां पर 52 प्रतिशत एक्सीडेन्ट्स रेट कम हुए हैं । उन्होंने जब अपनी स्टडी और अपनी रिपोर्ट दी थी, तब उसके बाद यह डिसाइड किया गया था कि इन 7 सब-कास्ट को इसमें इनक्लूड किया जाए और इसको यह नाम दिया जाए ।

जब हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने वर्ष 2015 की मीटिंग को रिकॉल किया, उस समय उन्होंने यह कहा था कि‘Their sadness could be seen. Colonial rulers took away their pride and dignity. For decades nothing happened. They told me that they had pleaded with Governments but nothing changed. I told them one thing.’

उन्होंने लाइटर वेन में कहा था कि‘your name Devendra rhymes with my name Narendra’. तब उन्होंने कहा था कि मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपको ‘देवेन्द्र कुला वेल्लालर’ में इनक्लूड किया जाएगा और इन 7 सब-कॉस्ट को आगे से ‘देवेन्द्र कुला वेल्लालर’ कहा जाएगा ।**…(व्यवधान)**

मैं इन्हीं शब्दों के साथ यह कहना चाहूंगी कि वर्ष 1964 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने ‘एकात्म मानववाद’ का एक विचार दिया था । वर्ष 1965 में उसको स्वीकार किया गया था । उन्होंने उसी साल अप्रैल माह में ‘एकात्म मानववाद’ के बारे में विस्तार से बताया था । तब उन्होंने यह कहा था कि हमें संघर्ष नहीं, आपस में सहयोग की जरूरत है ।

सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि हम आज जिस तरह से देख रहे हैं कि क्या किसी को सिर्फ इसीलिए टॉर्चर किया जाए, क्योंकि वह शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से है? क्या किसी बच्चे को सिर्फ इसीलिए पानी पीने न दिया जाए? मुझे लगता है कि अगर अब इस तरह की कहीं पर भी कोई घटना या दुर्घटना हमारी नज़र में आती है, तो सरकार उस पर कड़ा से कड़ा संज्ञान ले और उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाए ।**...(व्यवधान)**

माननीय सभापति : माननीय सदस्या, आप अपनी बात समाप्त कीजिए । यह आपका आखिरी वाक्य है ।

...(<u>व्यवधान</u>)

माननीय सभापति : माननीय सदस्या, पांच मिनट नहीं,आप अपना आखिरी वाक्य बोलिए ।

...(<u>व्यवधान</u>)

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : महोदय, बिल है और वे बिल पर महत्वपूर्ण बातें कह रही हैं । ऐसा लग रहा है कि कोई तमिल की सदस्या बोल रही हैं ।**...(व्यवधान)**

सुश्री सुनीता दुग्गल : सभापति महोदय, मैं सिर्फ दो बातें कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी ।**...(व्यवधान)**

माननीय सभापति : आपके पक्ष में काफी अपील की जा रही हैं । आप अपनी बात को जल्दी पूरा कीजिए ।

...(<u>व्यवधान</u>)

सुश्री सुनीता दुग्गल : सभापति महोदय, हम यह नोटिस करते हैं कि यह वह सदन है, हमने यहां पर बहुत बड़े-बड़े नेताओं को देखा है । यहां पर आदरणीय सुषमा स्वराज जी थीं, यहां पर स्वर्गीय अरुण जेटली जी थे, यहां पर स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी थीं, नेहरू जी थे, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे ।**...(व्यवधान)**

16.00 hrs

माननीय सभापति : दादा, यह तो पता है ।

…(व्यवधान)

सुश्री सुनीता दुग्गल : यहां इस सदन में बजट पेश करने के लिए मंत्री के रूप में तो आए होंगे ।…(व्यवधान)

माननीय सभापति: प्लीज, आप पूरा कीजिए ।

…(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : मैं, मैडम को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ ।

सुश्री सुनीता दुग्गल: मैं यह कहना चाहती हूँ कि यहां पर आदमी सिर्फ आदम जात है । इसके सिवा और कोई जात नहीं है । अभी परसों के दिन ही रामस्वरूप शर्मा जी हम सब लोगों के बीच में बैठे थे और वे आज हम लोगों के बीच में नहीं हैं । मुझे लगता है कि हमें किसी भी तरह से यह जातिभेद हर हालत में खत्म करना चाहिए । यह हम सबकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है । कहते हैं कि "पानी केरा बुदबुदा अस मानुस की जात, एक दिन छिप जाएगा ज्यों तारा परभात" । इसी तरह से कबीर साहब ने भी यह बात कही है कि:-

कबीर कुंआ एक है पानी भरे अनेक,

बरतन में ही भेद है पानी सब में एक ।

मैं यह कहना चाहती हूँ कि हम सबको मिलकर दीनदयाल उपाध्याय जी का जो मानवतावाद का संदेश था, उसको पूरा करते हुए जातिप्रथा को धीरे-धीरे खत्म करना चाहिए । इसलिए हमारी सरकार इस कार्य में लगी हुई है । हमारे प्रधान मंत्री जी भी लगे हुए हैं । मैं मंत्री जी को यह बिल लाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ ।

KUMARI GODDETI MADHAVI (ARAKU): Thank you, hon. Chairperson, Sir.

On behalf of YSRCP, I rise to support this Bill. The Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill, 2021 seeks to amend the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950.

The Bill, as we know, replaces the entry for the Devendrakulathan community with the Devendrakula Velalar community, which includes communities like Devendrakulathan, Kalladi, Kudumban, Pallan, Pannadi, and Vathiriyan. Currently, these are separately listed within the Act. Further, the Bill also creates the distinction for the Kadaiyan community based on the residence.

Today, as we talk about reservations for the Scheduled Castes, we must remind ourselves to the famous saying of Dr. Ambedkar, which is, 'So long as we do not achieve social liberty, whatever freedom is provided by the law is of no avail to us.' Thus, through reservations under Article 15 and Article 16, the Constitution has given a great respite to the deprived people and undo such injustices of history.

Talking of the Bill at hand, it addresses the long-standing demand of seven sub-sects constituting about 17.07 per cent of the total Scheduled Castes population in the State of Tamil Nadu. The committees are set-up by the State Government under the Chairmanship of Prof. S. Sumathi and under Shri Hansraj Verma respectively had also favoured it. Moreover, the demand for the same had been raised with the hon. Prime Minister on several occasions since 2015, for which we must applaud the Government to have acted upon.

In the light of this, I must also take this opportunity to highlight that the schemes and policy measures of the State Government of Andhra Pradesh, like YSR Pension Kanuka, YSR Aasara, Amma Vodi, Jagananna Vidya Deevena and various such other schemes, have ensured continued support to the people belonging to the Scheduled Castes. Even recently, the hon. Chief Minister has released the State's New Industrial Policy (2020-23) with an aim to provide an additional push to the aspiring entrepreneurs, especially among underprivileged communities, particularly the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

The Y.S. Jagan Mohan Reddy Government in Andhra Pradesh has unveiled a development initiative for the benefit of SC and ST entrepreneurs, providing higher reimbursement in power charges and investment subsidy.

A 25-paise increase in reimbursement of power charges per unit, a 10 per cent rise in investment subsidy and enhancement of nine per cent in interest subsidy for micro, small and medium enterprises are the notable features in the separate policy for SCs and STs.

Under Badugu Vikasam, SC and ST entrepreneurs setting up manufacturing units will get an investment subsidy of 45 per cent, with a cap of one crore rupees.

For service sector and transport related units, the subsidy amount has been capped at Rs. 75 lakh, according to the policy document.

The interest subsidy for MSMEs that was fixed at three per cent in the industry policy has been enhanced by nine per cent under Badugu Vikasam.

Similarly, power cost reimbursement has increased to Rs. 1.50 per unit.

Hon. Chairperson, Sir, apart from that, 25 per cent seed capital assistance will be provided for machinery for first generation entrepreneurs establishing micro units.

In the industrial parks in Andhra Pradesh, 16.2 per cent of plots would be reserved for SCs and six per cent for STs.

The SC and ST entrepreneurs need to pay only 25 per cent of the land cost upfront and the balance payment could be done over eight years, with 8 per cent interest, after the start of commercial production.

A dedicated SC and ST Entrepreneur Facilitation Cell will be set up in all district industries centres for handholding support and entrepreneurship development programmes will be taken up to provide necessary capabilities and skills.

The Government will take up capacity building, skill development training programmes, sectoral studies for future ready investible opportunities and identification of various marketing opportunities in the respective sectors for the SC and ST entrepreneurs.

As a result of all such stringent efforts taken on the part of the State Government, I feel happy to inform the house that since the formation of our Government in the State, there has been an 11 per cent reduction in the number of cases registered under Section 302 in the State with respect to the SC, along with about 17 per cent reduction under Section 376 and 46 per cent reduction under Sections 435 and 436 of the IPC.

Sir, our hon. Chief Minister is giving more importance to SCs and STs.

With this, I conclude by expressing our Party's support for the Bill. Thank you for giving me this opportunity.

श्री राहुल रमेश शेवाले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): सभापति महोदय, अनुसूचित जातियों के सन्दर्भ में संविधान में और संशोधन करने वाले इस विधेयक के माध्यम से तमिलनाडु की जनता को न्याय देने का काम आदरणीय मंत्री जी ने किया है, मैं सबसे पहले उनका अभिनन्दन करता हूं । जैसे उन्होंने तमिलनाडु को न्याय दिया है, वैसे ही महाराष्ट्र के लिए भी न्याय देन चाहिए, ऐसी मैं उनसे अपेक्षा रखता हूं ।

महोदय, इस विषय में मैं महाराष्ट्र राज्य के बारे में कहना चाहता हूं कि 2018 में महाराष्ट्र की तत्कालीन सरकार ने नौकरियों और शिक्षा में मराठों के लिए 16 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी थी । बॉम्बे हाई कोर्ट ने कानून की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए राज्य सरकार को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों के अनुसार कोटा घटाकर 12 प्रतिशत से 13 प्रतिशत करने का निर्देश दिया । न्यायालय ने यह भी कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कुल आरक्षण पर लगाई गई 50 प्रतिशत की कैप असाधारण परिस्थितियों में पार की जा सकती है । 9 सितम्बर को सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग अधिनियम, 2018 के तहत मराठा समुदाय को प्रदान किए गए शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण पर रोक लगा दी थी । मराठा समुदाय राज्य की आबादी का लगभग एक-तिहाई हिस्सा है । अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि चिकित्सा पाठ्यक्रमों में मराठा कोटा के तहत पहले से किए गए प्रवेश प्रभावित नहीं होंगे । इसमें कहा गया है कि जिन लोगों ने इसका लाभ उठाया है, उनकी स्थिति भी खराब नहीं होगी । यह विषय अभी माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रलम्बित है । पिछले माह राज्य सरकार ने कहा कि उच्चतम न्यायालय को आरक्षण पर मौजूद 50 प्रतिशत के कैप पर पुनर्विचार करना चाहिए । अत: राज्य

के मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे जी ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को पत्र लिखकर उनसे मराठा समुदाय को नौकरियों और शिक्षा में दिए जाने वाले 16 प्रतिशत आरक्षण की संवैधानिक वैधता की रक्षा के लिए सकारात्मक रुख अपनाने का आग्रह किया है ।

महोदय, राज्य सरकार का कहना है कि उच्चतम न्यायालय में मामले की सुनवाई के गतिरोध को केंद्र सरकार के स्तर पर ही हल किया जा सकता है । केंद्र को इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख अपनाने की जरूरत है । तमिलनाडु में आरक्षण 69 प्रतिशत से अधिक हो गया है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए घोषित कोटा भी सीमा पार कर गया है । मराठा आरक्षण को छोड़कर इसमें किसी को भी नहीं रखा गया है । महाराष्ट्र राज्य सरकार अपने मामले को कोर्ट में जोरदार तरीके से पेश कर रही है, लेकिन केंद्र को भी सकारात्मक रुख अपनाने की जरूरत है । यह केंद्र सरकार के लिए अपना पक्ष स्पष्ट करने का एक उचित अवसर है । उच्चतम न्यायालय को आरक्षण पर मौजूदा 50 प्रतिशत कैप पर पुनर्विचार करना चाहिए । अगर मराठा कोटा लागू होता है तो राज्य में कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक हो जाएगा । कई राज्य सरकारें इस सीमा को पार कर चुकी हैं । इसलिए 1993 के इंदिरा साहनी मामले में 50 प्रतिशत की दर से कोटा देने के ऐतिहासिक फैसले को फिर से देखने की जरूरत है । अगर केंद्र इस मुद्दे पर सकारात्मक रुख अपनाता है तो महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण मंजूर करने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है । मैं आदरणीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि माननीय उच्चतम न्यायालय में इस विषय की सुनवाई में केंद्र सरकार सकारात्मक रुख अपनाकर महाराष्ट्र के इस महत्वपूर्ण विषय को सुलझाकर मराठा आरक्षण को संवैधानिक दर्जा प्राप्त कराए ।

महोदय, दूसरा धनगर समाज का आरक्षण है, मैं उसके बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । 70 वर्षों से धनगर समाज के आरक्षण का प्रश्न महाराष्ट्र में वर्षों से प्रलंबित है और भारतीय संविधान के अनुसार अनुसूचित जनजाति की सूची में 36 नम्बर पर धनगढ़ का उल्लेख है । हिंदी भाषा के उच्चारण शास्त्र के अनुसार धनगर और धनगढ़ एक ही शब्द है । महाराष्ट्र में धनगढ़ नाम की कोई भी जनजाति नहीं है । महाराष्ट्र शासन के राजपत्रों में और

भारत सरकार के कई पत्रों में धनगर शब्द का स्पष्ट उल्लेख है, फिर भी धनगर समाज को आरक्षण से वंचित किया जा रहा है । महाराष्ट्र में धनगर समाज की संख्या लगभग 11 प्रतिशत से ज्यादा है । मैं इसके लिए सरकार से निवेदन करता हूं कि धनगर समाज को भी अनुसूचित जनजाति की सूची में समावेश करें और धनगर समाज को उचित आरक्षण दिया जाए, जिससे समाज के इस पिछड़ी जनजाति को विकास करने का अवसर मिले । धन्यवाद ।

श्री विजय कुमार (गया) : अध्यक्ष महोदय, आपने संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश संशोधन विधेयक, 2021 पर बोलने का मौका दिया है । आजादी के 72 साल हो गए हैं । अनुसूचित जाति का हाल पूरे देश में सही नहीं है । इसमें कुछ सुधार जरूर हुआ है । अभी विपक्ष के लोग बोल रहे थे और हम सुन रहे थे, पहली बार अच्छा लगा कि उन्होंने कुछ बात सच बोली है, लेकिन लगातार ...* ही बोलते चले आए हैं । मोदी जी की सरकार में अनुसूचित जाति को मान-सम्मान दिया गया और श्रीराम मन्दिर के निर्माण का शिलान्यास दलित से कराया गया । हम लोगों ने देखा कि मन्दिर में कांग्रेस के समय छूआ-छूत होती थी, लेकिन आज उनको शिलान्यास में पूछा जा रहा है । उस समय उनको याद नहीं आ रहा था ।

महोदय, इन्होंने मनमोहन जी का जिक्र किया कि छात्रवृत्ति देते थे, लेकिन वह स्कूल में नहीं आती थी । वे इधर से पैसे पहुंचाते थे, उसमें से आधे मास्टर और वे रखते थे । आज छात्रवृत्ति मिलती है, जिसे विदेश में पढ़ने के लिए मोदी जी देते हैं । पहले ये कहते थे कि गांव में रहकर पढ़िए, लेकिन आज मोदी जी, जो पढ़ने लायक इच्छुक व्यक्ति है, उसे विदेश भी भेजते हैं । इस बिल पर हम जनता दल (यूनाइटेड) की तरफ से बोल रहे हैं । हम इसका समर्थन करते हुए अपनी बात को और आगे बढ़ाना चाहते हैं ।

महोदय, कांग्रेस की जो पूर्ववर्ती सरकार थी, वह एससी/एसटी के लिए जो बजट होता था, उसमें न्यूनतम से न्यूनतम प्रावधान करते रहे । इसका हल है कि

आज पूरे देश में तमिलनाडु की तरह एससी/एसटी के लोग वंचित हैं और खानाबदोश की तरह अभी भी जीवन व्यतीत कर रहे हैं ।

माननीय सभापति महोदय, बिहार में माननीय नीतीश जी हैं, वहां पर हमारी सरकार है, एनडीए की सरकार है । वहां पर नीतीश जी ने यह प्रावधान किया है कि एससी/एसटी के किसी भी व्यक्ति के साथ अत्याचार होता है और उससे मृत्यु होती है तो त्वरित कार्रवाई करते हुए, उसके आश्रितों को नौकरी देने का प्रावधान है ।

माननीय मंत्री जी यह बिल लाए है, मैं इसका समर्थन करता हूं और एक मांग भी करता हूं कि बिहार के तर्ज पर पूरे देश में जितनी भी अनुसूचित जातियां हैं, उन पर किसी तरह का अत्याचार होता है और उनकी हत्या होती है, उस स्थिति में उनके परिवार के सदस्य के लिए नौकरी का प्रावधान होना चाहिए । डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी का सपना था, हम समझते हैं कि उसे कांग्रेस के लोगों ने कभी स्वीकार नहीं किया । राज्य सभा में अनुसूचित जाति के लोगों में से किसी को भी माननीय सदस्य नहीं बनाया है । आज वे बहुत सीना चौड़ा करके बोल रहे थे और अब बोलते-बोलते उनमें से दो-तीन लोग यहां बचे हैं । यहां पर राहुल जी को भी उपस्थित रहना चाहिए था, चूंकि वे लोग अनुसूचित जाति के लोगों की बात करते हैं । शिक्षा में कई तरह के सुधार हुए हैं और कई तरह की उद्यमी योजना भी लाई गई हैं, उनका लाभ हमें भी मिला है । हमारी मां पत्थर तोड़ कर राजनीति करते हुए वर्ष 1996 में लोक सभा में पहुंची थीं । हम जानते हैं कि अनुसूचित जाति का क्या हाल होता है । वे पहले पढ़ते-पढ़ते स्कूल छोड़ देते थे, लेकिन आज यह स्थिति नहीं है । मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसा बिल पास किया है कि अगर आप बीच में पढ़ना चाहते हैं तो फिर से आप पढ़ सकते हैं । मोदी जी बहुत अच्छा कानून बना रहे हैं । मैं इस सदन के माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी धन्यवाद देना चाहता हूं कि वे अनुसूचित जाति के लोगों के विकास के लिए कई तरह के लोन वितरित करवा रहे हैं । आप उस लोन को कम इंट्रेस्ट रेट पर दे रहे हैं । हम लोगों को पहले सूअर मिलता था, बकरी और गाय मिलती थी, लेकिन ये लोग कभी पढ़ने के लिए नहीं बोलते थे । हमारे परिवार के लोग कहते थे कि तुम सूअर लेकर उधर रहो,

लेकिन पढ़ाई नहीं करो । आज मोदी जी कहते हैं कि आप पढ़िए, आप अच्छी तरह से काम कीजिए, विकास कीजिए, बिजनेस कीजिए । आज कितना फर्क है! यही कारण है कि मोदी जी यहां तक पहुंचते जा रहे हैं और ये लोग सिमटते जा रहे हैं ।

सभापति महोदय, हमें बोलने के लिए कम समय मिला है । एससी और एसटी से संबंधित कई मुद्दे हैं । हम यह निवेदन करना चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी को बिहार की तर्ज पर, जैसे नीतीश जी ने उसे लागू किया है, आप भी दलितों और वंचित लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ देने का काम करें । जय हिंद, जय भारत ।

श्री गिरीश चन्द्र (नगीना): सभापति महोदय, आपने मुझे संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2021 पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं । मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि इस बिल में इन सात जातियों को एक देवेन्द्रकुला वेलालर के रूप में मान्यता देने का प्रस्ताव आज यहां पर माननीय मंत्री जी लेकर आए हैं । इस देश की आजादी के लगभग 70 साल बीत गए हैं, इस देश में परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए व्यवस्था दी थी कि गैर-बराबरी की व्यवस्था को समाप्त करके एक बराबरी की व्यवस्था इस देश में लागू होनी चाहिए । तमाम प्रदेशों में तो यह लागू हो गई है, लेकिन तमिलनाडु में आज तक गैर-बराबरी और छुआछूत को खत्म करने के लिए व्यवस्था लागू नहीं हुई है । संविधान के तहत जो व्यवस्थाएं थीं, उनको नहीं मिल पाई है ।

सभापति महोदय, देवेन्द्रकुलथन, कडडयन, कालाडी, कुदुंबन, पल्लन, पन्नाडी, वातिरैयान जातियों को तमिलनाडु प्रदेश की अनुसूचित जाति में शामिल किया गया है, लेकिन वर्षों से इनकी यह मांग चली आ रही है कि इनको अनुसूचित जाति से बाहर निकाल कर ओबीसी का दर्जा दिया जाये । मैं चाहता हूं कि इन्हें ओबीसी में लाया जाये, अगर इन्हें ओबीसी में नहीं लाया जाता है, तो दलित समाज का आरक्षण जाने के बाद इन्हें ओबीसी का आरक्षण मिलना चाहिए । यह न करके सरकार इनको देवेन्द्र कुला वेल्लालर और कड़डयन में विभाजित कर रही है । यह बताना आवश्यक है कि समुद्र तटीय किनारे पर रहने वाले दलित समाज के लोगों को कडडयन और उसके अलावा अन्य जगहों पर रहने वाले दलित लोगों को देवेन्द्र कुला वेल्लालर वर्ग में बांटा जा रहा है । यह सरकार की एक राजनैतिक लाभ और चाल है, इसके सिवाय कुछ नहीं है ।

सबसे पहले यह बात भी जानना जरूरी है कि वे लोग क्यों अनुसूचित जाति से बाहर निकलना चाहते है? जहां पर इन्हें सम्मान नहीं मिलेगा, इनके स्वाभिमान की लोग चिंता नहीं करेंगे, वहां की सरकार इनके स्वाभिमान की चिंता करे, इन्हें बराबरी का हक दिलाए । अगर इन्हें बराबरी का हक दिलाया जाता, तो आज ये अनुसूचित जाति के लोग इससे बाहर निकलने का विचार नहीं करते । मैं जानता हूं कि लोग अनुसूचित जाति से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि तमिलनाडु प्रदेश में आजादी के बाद से आज भी छुआ-छूत उच्च स्तर पर है, क्योंकि यहां पर अनुसूचित जाति के लोगों का अलग मंदिर, अलग विद्यालय, अलग खानपान अर्थात प्रत्येक जगह अनुसूचित जाति में विभेदीकरण हैं । आजादी के बाद तमिलनाडु देश का पहला ऐसा राज्य है, जहाँ आज भी अनुसूचित जाति के लोगों के साथ बहुत छुआ-छूत है । अनुसूचित जाति के लोगों से बचाव के लिए गांव में जगह-जगह 15 फीट ऊंची ईंट की दीवारें भी लगायी जाती हैं, जिसे जाति के दीवार के नाम से जानते हैं । 2 दिसम्बर 2019 को कोयम्बटूर में एक ऐसी ही दीवार के गिरने से लगभग दो दर्जन से अधिक दलित लोगों की आकस्मिक मौत हो गयी थी ।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि राजनैतिक लाभ के लिए इस तरह का फूट डालने की परम्परा को बन्द करें । अगर यह सरकार वास्तविक रूप से अनुसूचित जाति की हितैषी है और यह अनुसूचित जाति के लोगों को सम्मान

और लाभ देना चाहती है और गैर बराबरी की व्यवस्था खत्म करके, उन्हें दूसरे समाज की बराबरी में खड़ा करना चाहती है, तो मेरी यह मांग है कि वहाँ पर फैले छुआछूत को समाप्त करें और उनके रहन-सहन, शिक्षा, भूमिहीन को भूमि, जितने आवासहीन लोग हैं, उन्हें आवास और रोजगार के देने का कार्य इस सरकार को करना चाहिए । इस समाज की वर्षों से चली आ रही मांग जो सातों जातियों में से किसी एक जाति के नाम पर उनको दिया जाये और उनको अनुसूचित जाति से बाहर निकाल कर ओबीसी में किया जाये । अगर ऐसा करते हैं, तो मैं इस सरकार का समर्थन करता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है, तो इस संशोधन विधेयक को स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाये, ताकि इस संशोधन से होने वाले प्रभाव, दुर्प्रभाव की जानकारी प्राप्त हो सके । धन्यवाद ।

SHRI RAMULU POTHUGANTI (NAGARKURNOOL): Thank you very much, hon. Chairperson, Sir, for giving me an opportunity to participate in the Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill, 2021.

At the very outset, I express my sincere thanks to the Union Government for bringing this Amendment Bill. In this context, I would like to confine my speech pertaining to the issues of Scheduled Castes in the State of Telangana.

Sir, I would like to bring to the notice of this august House that there has been a long-pending demand for sub-categorisation of Scheduled Cates into A,B,C,D groups in both the States of Telangana and Andhra Pradesh to render equal social justice to all Scheduled Castes in these States as only some sections of the Scheduled Castes immediately benefited.

I wish to draw the following facts before this august House. In 1998, the Commissioner of India for Scheduled Castes and Scheduled

Tribes himself stated that the undivided State of Andhra Pradesh is not equally accessible to benefits of reservations. The Mala and Adi Andhra group of Scheduled Castes are cornering jobs and seats in educational institutions disproportionate to their population.

Medigas, Rellis and Mehtar group of Scheduled Castes are subjected to social injustice in reserved field of education and employment. The Medigas, Rellis and Mehtars of erstwhile Andhra Pradesh and Telangana had demanded for sub-categorisation of Scheduled Castes into A,B,C,D groups for equal justice.

Conceding the demand of Medigas, Rellis and Mehtar, the erstwhile Andhra Pradesh Legislative Assembly passed a unanimous resolution thrice supporting the sub-categorisation. In reverence to the popular support, the then Andhra Pradesh Legislative Assembly passed an Act known as Andhra Pradesh Scheduled Castes (Rationalisation) Reservations Act in April, 2000 categorizing 59 Scheduled Castes into A, B, C, D groups allotting 7 per cent, 6 per cent, 1 per cent to A, B, C and D groups respectively.

The categorization policy was implemented for four years from 2000 to 2004, distributing reservation benefits equally and in proportion to the population of each Scheduled Caste group in erstwhile Andhra Pradesh. But the Supreme Court of India struck down the Act stating that the categorization of Scheduled Castes into groups is beyond the sphere of State authority which implies that it is within the sphere of the authority of Parliament.

Consequently, the then Union Government appointed a National Commission of Inquiry with hon. Justice (Retd.) Usha Mehra as its Chairperson to examine the issue of sub-categorization of Scheduled

Castes. The Commission received representations from various groups within the Scheduled Castes in Andhra Pradesh and Telangana and collected elaborate statistics after visiting various districts in the State. Based on sufficient data, Justice Usha Mehra Commission of Inquiry felt that there is an urgent need for sub-categorization of the Scheduled Castes to provide equal and proportional justice to all sub-castes listed in the Scheduled Castes.

The report of the Justice Usha Mehra Commission for sub-categorization of the Scheduled Castes into A, B, C, D groups had been forwarded to the Union Cabinet by the Ministry of Social Justice and Empowerment which is pending for clearance from the Union Cabinet. The Usha Mehra Commission Report, *inter-alia*, recommended for categorization of the Scheduled Castes into A, B, C, D groups.

After formation of the Telangana State, a Resolution was also unanimously passed on 29th November, 2014. All political parties, cutting across party lines, supported the sub-categorization of the Scheduled Castes into A, B, C, D groups and the same has been sent to the Ministry of Social Justice and Empowerment and also to the Union Government for considering the same by bringing a suitable Amendment Bill in the Parliament.

For generations, the entire Madiga community and its associated most downtrodden minor sub-castes of the Scheduled Castes shall ever remember your goodself's kind gesture for rendering justice to them. Classification of the Scheduled Castes in Telangana and Andhra Pradesh into A, B, C, D groups would enable a large section of population of the Scheduled Castes to get their due share of reservations based on their

degree of socio-cultural history, literacy, backwardness and their proportionate population.

I, would, therefore, earnestly request the hon. Prime Minister and also the Minister of Social Justice and Empowerment to bring the required Constitution (Amendment) Bill for categorization of the Scheduled Castes into A, B, C, D groups in this Budget Session and provide equal justice to all the Scheduled Castes in the States of Telangana and Andhra Pradesh.

Sir, the Amendment Bill for sub-categorisation of Scheduled Castes into A,B,C and D groups will render the equal opportunities in terms of education and employment to a larger extent and would remove imbalances.

I would, therefore, request the Union Government to bring a Constitution Amendment Bill for sub-categorisation of Scheduled Castes into A, B, C and D groups in the State of Telangana and Andhra Pradesh in this Budget Session itself.

Sir, our hon. Chief Minister, Shri K. Chandrasekhar Rao also wrote a letter to the hon. Prime Minister, which I would like to quote here. He said:

> "Dear Shri Narendra Modi-ji,
>
> You are kindly aware of the longstanding demand for sub-categorisation of the Scheduled Castes. The rationale for this demand is to ensure that the benefits of the reservation are distributed in an equitable manner among different groups of the Scheduled Castes.

Immediately after the formation of Telangana, the State Legislative Assembly passed a Resolution in June, 2014 requesting the Government of India to take steps to complete the process of sub-categorisation of the Scheduled Castes.

As the Government of India had not taken any decision on this issue, all political parties in the Telangana Assembly have demanded that an all-party delegation headed by the Chief Minister should meet the hon. Prime Minister of India to apprise the importance of the issue and the gravity of situation.

I, therefore, request you to kindly direct the Ministries concerned, namely, Ministry of Home Affairs, Ministry of Law and Justice and Ministry of Social Justice & Empowerment, to consider this issue for favourable orders in this regard."

So, Sir, I would request the hon. Minister of Social Justice and Empowerment to kindly consider this issue and take necessary action as early as possible and do justice.

With these words, I conclude my speech. Thank you.

*__SHRI SUNIL DATTATRAY TATKARE: (RAIGAD):__ Hon. Chairman Sir, thank you very much for giving me this opportunity to speak on the Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill, 2021 brought for the State of Tamil Nadu. After independence, under the chairmanship of Dr. Babasaheb Ambedkar, the Constituent

Assembly declared India a Republic. The then Prime Minister Pt. Jawaharlal Nehru made a provision of reservation for SCs and STs in 1950. This revolutionary decision was taken to ensure their overall development as well as representation in legislative Assemblies and Parliament. But apart from this, the Government did nothing for their welfare. When Hon. Sharad Pawar ji was Chief Minister of Maharashtra, around 11% and 10% of the Budget used to be earmarked for the welfare of SCs and STs. The cap of 50% was fixed for reservation and also the State Governments were permitted to grant reservation to backward and OBC Communities. When the Mandal Commission Report was being implemented, violent protests and riots occurred throughout the country. In spite of this, Hon. Sharad Pawar ji took a decision to implement Mandal Commission Report in Maharashtra to give reservation to OBCs.

Now, the Maratha Community has been fighting for reservation in Maharashtra for the last 2-3 years. Maratha Community organized peaceful street marches comprising lacs of people. These agitations were completely peaceful and that is why I want to salute them.

The then Maharashtra Government gave Maratha reservation without necessary provisions but today this Government has brought this bill to take political mileage in Tamil Nadu Assembly Elections. When the cap of 50% in reservations was crossed by the State of Tamil Nadu, the then Central Government had made a constitutional amendment to accommodate that under Schedule Nine so that nobody could challenge it.

In case of Maratha reservation, High Court has validated and upheld the decision of reservation given to Maratha Community but Hon.

Supreme Court of India has stayed it.

Therefore, the Central Government of India should come forward to support it. Hon. Ministers Shri Raosaheb Danveji and Gadkari ji are present here. I would like to request the Central Government to bring a constitutional amendment to put this in Schedule 9 to protect it. I demand that Dhangar and Lingayat communities should also get the benefits of reservation along with Maratha Community.

Day before yesterday, Supreme Court had given a decision to scrap OBC reservation in Panchayat Samiti, Zilla Parishad and Nagar Panchayat. Elected Members of these bodies have been terminated. In this situation, central government should come forward and intervene. You are doing injustice to the people of OBC community. You are free to do politics, but do not punish the people of Maharashtra otherwise it would trigger unrest among masses. Central government should take necessary steps to secure reservation facilities to these backward communities. The provision of Maratha reservation should be placed in the IX Schedule and this is my earnest request to you. You have brought a very good legislation and I would like to congratulate you. Kindly take necessary steps in the case of Maratha reservation too. Jai Hind, Jai Maharashtra!

डॉ. उमेश जी. जाधव (गुलबर्गा): सभापति जी, एक कहावत है 'जहां न पहुंचे रवि, वहां पहुंचे कवि ।' पिछले 68 सालों से तमिलनाडु तक कोई नहीं पहुंचा था । आज हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री जी तमिलनाडु पहुंचे हैं । 68 सालों से लोगों का जो मूवमेंट चल रहा था, उनकी सात केटेगरीज को मिलाकर एक कॉमन नाम रखने के लिए संघर्ष चल रहा था, आज उनका वह सपना पूरा हो रहा है । आज कम से कम 30 से 40 लाख लोगों को सुकून की नींद आएगी ।

Chairman, Sir, I stand here in strong support of the Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill, 2021, brought by our Social Justice and Empowerment Minister, Shri Thawar Chand Gehlot ji. I thank our beloved hon. Prime Minister Modiji and the Government of Tamil Nadu also for this purpose. A thorough study has been done. Many queries were raised by RGI. All queries were properly replied by the Tamil Nadu Government. They have rightly done their job. This Bill replaces entry for *Devendra Kulathan* community with their heritage name, that is, *Devendra Kula Vellalar* which includes the communities which are listed separately within the Act. These are *Kudumban, Pannadi, Kaladi, Kadayan, Devendrakulathan, Pallan* and *Vadhiriyan* communities. Now, the separate entries have been omitted.

Sir, it is not just a mere change of name, there was an evidence in history and literature about the existence of the name *Devendrakula Velalar* and that is the reason why the Government is doing everything to set the records straight.

It has been a long pending demand of the *Dalit* movement to change the nomenclature of the caste for the last three decades. Assigning a new name, *Devendra Kulal Vellalar*, of seven communities would give them honour, dignity and respectability in society.

Sir, here, I would like to express what Narendra Modi*ji* says. He says:

"It is not a favour what the BJP Government is doing to the community, but it is our duty for the community."

Our beloved Prime Minister believes in doing what he says. I would like to mention here that our hon. Prime Minister has said in the rally in Madurai just a year back that he is committed to give justice, opportunity, and ensure social harmony in the community. Today, we are witnessing this क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं, वे करते हैं ।

Hon. Chairperson Sir, the people of Devendrakulathan Caste claim that they gained this name because they are the descendants of Lord Indra, the King of Devas. Leaders of their community were brought to the temple with great fanfare. They would be riding on an elephant with white umbrella, and there would be trumpet and drum players. These were the privileges only the ancient Tamil Kings had, and they were passed on to their descendants. The Devendrakulathan community now has Scheduled Caste status. They resent this large drop in status. History explains how their status dropped so drastically. Research suggests that they are the descendants of Tamil Kings who ruled what is now called Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, some parts of Andhra Pradesh, and Maharashtra during ancient period, up to the 16th Century. After the invasion of the Vijayanagar and Maratha Empires, Tamil Kings and their communities were relieved of their titles and land. They became agricultural labourers on the farms which they once owned. This new situation continued during the 17th Century until the mid-20th Century. The Devendrakulathan community now live in Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Kerala, Karnataka, and Sri Lanka.

Hon. Chairperson Sir, I would like to put some light on my community, that is, Banjara community. I can relate myself with this community as most of the people of this caste are involved in agriculture. The people who live in villages have their own self-Government. They have their special priests in temples, special barbers, special cloth washers, and special medical workers in villages. These people also have their own temples which are called King Temples. Also, there are priests in village temples and shrines which are exclusively owned by these people. That is the reason why Modi*ji* has said that these communities have a rich heritage and culture. All these communities would be grateful to our hon. Prime Minister, Narendra Modi*ji*.

Sir, there are some issues of my State of Karnataka. As one of the hon. Members and my colleague from Maharashtra mentioned about Dhangar Community which is called Kuruba community in Karnataka. There is also Koli community in Karnataka. These communities were about to sit on an agitation on 27th of this month but because of COVID-19 pandemic, they deferred. So, the Koli Community and the Kuruba Community should also be included in the Scheduled Tribes list. The Government of Karnataka has already recommended to include them in ST category. This is also being studied by the RGI. They have raised some queries which have already been replied to. So, through you, I would request the hon. Minister to include the Dhangar community, which is called Kuruba community in Karnataka, and also the Koli Community in the Scheduled Tribes list. Thank you.

*__DR. AMAR SINGH (FATEHGARH SAHIB):__ Thank you, Hon. Chairman Sir.

Let me say that proposal for inclusion of a particular caste in the SC list had been there for the last several years. I have read the files in this regard. But you have brought this bill to derive political mileage as there are elections in Tamil Nadu. Why did you not bring this bill 6 months or one year ago? Their demands are just and genuine. I have seen letters written by Tamil Nadu Government in 2019. But, your timing in bringing this bill reeks of sheer politics. You should not have done it when election process had already started. You should have done it earlier.

Sir, we are talking about Dalits and all of us want to speak about their plights in the House. I know the Hon. Minister and he knows me well. Both of us are concerned about this section of society. Sir, I was in the M.P. cadre. He is a politician from M.P.

Sir, the Dalits have been trailing behind socially, economically and politically even after 72 years of getting independence. This is the truth we all know. I don't want to accuse any government in this regard. But it is the main responsibility of the present government to ameliorate the plight of Dalits and mitigate their suffering.

Chairman Sir, we can help the weaker sections most through providing them education. Those who study and get technical degrees get jobs. Post-matric scholarship scheme that was there since last 30-40 years has been altered so much that it is rendered ineffective. The 60% and 40% share done by Central government is a sad state of affairs. Gehlot sir, this change was made when you were the Minister and I am saddened by this. You are a well-wisher of this community. The states

do not have money even to pay the salaries to their employees. Loans are being taken by them They cannot provide 60% contribution in scholarships.

I demand that Union Government provide 100% money for this scholarship. Your image will improve. The SC children will be very happy. This will be historic and landmark step.

Sir I have been in the Government and I know how policy decisions are made. But if you do not have budgetary provision, the scheme fails. You should keep Rs. 60000/- to Rs. 70000/- crores for SC scholarship. The School Education department has the details of SC children. The government must know these details. How many SC students are there in higher education? The HRD ministry must have this information. Thus, their number multiplied by scholarship amount will by the budget for scholarship. This is my suggestion.

Secondly, mostly Dalits are landless and they work in MGNREGA. UPA government had given a guarantee that 100 days' work would be provided by us. It is not the case now. Rs.241/- income per day is a peanut. I urge upon the hon. Minister that though this does not fall under your ministry but you are custodian of scheduled castes. You should take a proposal in cabinet. 80 to 90% SCs work in MGNREGA. Their daily wage should be increased. They will get economic relief.

Thirdly, you are framing policies as per your whims because you are in the government and you have a brute majority. We cannot stop you. But hon. Minister sir, you privatise everything. Who will provide reservations to SCs and STs? How are you protecting their reservation while, on the other hand, you are privatising all the public sector undertakings? SCs are mostly employed in public sector. You are selling

these institutions. You are in a majority and you will get things passed. But what will happen to SCs.

The Dalits cannot be admitted in private schools due to costly fee. Why not open schools of excellence for them at district level so that they will get educated. Help them. This will go a long way in uplifting them. Thank you.

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): सभापति महोदय, संविधान संशोधन विधेयक तमिलनाडु राज्य में अनुसूचित जातियों की सूची को उपांतरित करने का जो विधेयक लाया गया है, मैं इस विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं देश के प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि तमिलनाडु राज्य में इन सात जातियों को उपांतरित करके देवेन्द्र कुला वेल्लालर के नाम से उपांतरित किया जा रहा है । यह वर्षों पुरानी मांग तमिलनाडु राज्य के अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों की थी, जिसको पूरा करने का काम आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने किया है ।

माननीय सभापति महोदय, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉ. राम मनोहर लोहिया जी और डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी ने एक ही बात कही थी कि समाज के सबसे अंतिम छोर पर जो अंतिम व्यक्ति खड़ा है, उस व्यक्ति के उत्थान का जब तक कार्य पूरा नहीं हो जाता है, तब तक हमारा विकास अधूरा है । समाज के अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है, उसको रहने के लिए जब तक मकान नहीं मिलता है, उसको खाने के लिए जब तक भोजन नहीं मिलता है, उसको स्वास्थ्य के लिए जब तक चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिलती हैं, उसके बच्चों की शिक्षा के लिए जब तक व्यवस्थाएं नहीं मिलती हैं, तब तक हमारा विकास अधूरा है और इसको पूरा करने का काम आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार कर रही है । चाहे वह प्रधान मंत्री आवास योजना के माध्यम से

हो, चाहे वह जन औषधि योजना के माध्यम से हो, चाहे वह आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से हो, चाहे खाद्यान्न योजना के माध्यम से हो और चाहे शिक्षा के माध्यम से अनुसूचित समाज के जो बच्चे हैं, उन बच्चों को प्रोत्साहित करके जीवन में उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए ।

आदरणीय सभापति महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आदरणीय थावरचंद गहलोत जी के द्वारा तमिलनाडु राज्य के संबंध में जो बिल लाया गया है, यह वास्तव में सराहनीय है । लेकिन इसके साथ ही साथ मैं कुछ बिन्दुओं की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे देश में कुछ जातियां ऐसी हैं, जो एक राज्य के कुछ जिलों में अनुसूचित जाति की केटेगरी में आ रही है, लेकिन उसी राज्य के बाकी जिलों में या तो उनको ओबीसी में रखा गया है या सामान्य श्रेणी में रखा गया है । इसके कारण से उनके मन में यह भेदभाव आता है कि अगर हम उन जिलों में होते, तो हमको शायद इस योजना का लाभ मिल रहा होता । बाकी जो उन जिलों में लोग रहते हैं, वे यह कहते हैं कि हम अपने बच्चे की शादी वहां नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम अपने बच्चे की शादी वहां पर करेंगे, हमारी बेटी वहां पर जाएगी, तो उसको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा । इस तरह का भेदभाव न केवल प्रदेशों में समाप्त होना चाहिए, बल्कि प्रदेशों के साथ-साथ देश में भी समाप्त होना चाहिए ।

मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूँ कि मध्य प्रदेश में जो धोबी समाज है, जिसको अलग-अलग नामों से कहीं पर रजक समाज कहा जाता है । कुछ राज्यों में उसको अलग नामों से पुकारा जाता है । यह जो धोबी समाज है, यह मध्य प्रदेश में भोपाल, सीहोर और रायसेन जिलों में है । इन तीनों जिलों में इसको अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किया गया है । लेकिन बाकी जिलों में इसको ओबीसी की कैटेगरी में रखा गया है । अब धोबी समाज वह समाज है, जब अस्पताल में पीप के कपड़े, खून के धब्बे के कपड़े, मवाद के कपड़े, उन कपड़ों को ले जाने का काम अगर कोई करता है तो वह धोबी समाज का व्यक्ति करता है । घर में प्रसूति होती है, वह प्रसूति वाले कपड़े घर में नहीं धोए जाते हैं, उन कपड़ों को भी धोबी समाज का व्यक्ति ले जाता है, अपने घर से धो कर लाता है । उसके साथ इस तरह का अस्पर्श्यता का व्यवहार किया जाता है । वह वर्षों

से मांग कर रहा है कि हमको अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए । इसके संबंध में मैं आदरणीय मंत्री जी, माननीय थावर चंद गहलोत जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, वे मध्य प्रदेश से ही आते हैं, मध्य प्रदेश की सरकार ने विधान सभा में 03 अप्रैल, 1998 में विधान सभा से एक अशासकीय संकल्प पारित कर के, 22 नंबर क्रमांका का, वह पारित कर के यहां केंद्र को भेजा था । उसी तरह से मध्य प्रदेश की सरकार ने पुन: 17 फरवरी, 2006 को एक अशासकीय संकल्प 1670/19 पारित कर के केंद्र सरकार को भेजा । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि दो-दो बार मध्य प्रदेश की सरकार से अशासकीय संकल्प पारित कर के केंद्र को भेजा गया । वहां पर जो हमारे धोबी समाज के लोग हैं, वहां पर एक परमानंद रजक नाम का बहुत बुजुर्ग व्यक्ति है, उसकी लगभग 85-90 साल की उम्र हो गई है, वह बार-बार मेरे पास आता है, पिछली बार भी मैंने इस विषय को उठाया था, उसके बाद धोबी समाज के देश भर से काफी लोगों के हमारे पास फोन आए कि हमारे समाज को देशभर में अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए । इसी तरह का प्रजापति समाज है, यह समाज दीपावली के समय पर दीपक बनाने का काम करते हैं, खिलौने बनाने का काम करते हैं, कलात्मक वस्तुएं बनाने का काम करते हैं, लेकिन यह प्रजापति समाज भी सभी जगह पर अनुसूचित जाति की श्रेणी में नहीं आता है और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो प्रजापति समाज है, यह टीकमगढ़, छत्तरपुर, पन्ना, दतिया, सतना, रीवा, सीधी और शहडोल आदि जिलों में तो अनुसूचित जाति की श्रेणी में आ रहा है, लेकिन बाकी जिलों में इनको ओबीसी की श्रेणी में शामिल किया गया है । इसके कारण से अनुसूचित जाति के समाज को मिलने वाली योजनाओं के लाभ से वे वंचित रहते हैं । इसी तरह से दिल्ली में मल्लाह जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किया गया है । लेकिन उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ओबीसी की कैटेगरी में शामिल किया गया है । ओडिशा के हमारे सांसद महताब जी यहां पर बैठे हुए हैं । ओडिशा में एक भुइया जाति है । उसको अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किया गया है, लेकिन ओडिशा के पास में ही एक झारखंड राज्य है, वहां पर उनको अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है, बल्कि वहां पर उनको ओबीसी की कैटेगरी में शामिल किया गया है । इस तरह की जो

जातियां हैं, जो एक राज्य के कुछ जिलों में ओबीसी में आ रही हैं, कुछ में एससी की कैटैगरी में आ रही हैं । ऐसे ही दूसरे राज्यों में उनको सामान्य श्रेणी में रखा गया है । इस तरह का भेदभाव समाप्त होना चाहिए ।

मैं खटीक जाति की बात करना चाहता हूँ । अभी तेलंगाना के हमारे माननीय सांसद बोल रहे थे, तो तेंलगाना के खटीक समाज के लोग आए थे । उन्होंने वहां से, राज्य सरकार ने, वहां की खटीक जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करने के लिए राज्य सरकार से प्रस्ताव पारित कर के यहां पर भेजा । आरजीआई में गया । दो-दो बार भेजा गया । आरजीआई के पास भी वे गए । कमीशन के पास भी गए । आरजीआई हर बार कोई न कोई कमी निकाल कर उसको वापस कर देती है । जबकि देश के बाकी राज्यों में उनको अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किया गया है । माननीय सभापति महोदय, यह बहुत ही गंभीर विषय है । इस गंभीर विषय पर मैं बहुत ही गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के प्रधान मंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने न केवल अनुसूचित जाति के समाज के लिए बजट का एलोकेशन बढ़ाया, जिसके कारण से उन योजनाओं का लाभ और भी ज्यादा प्रभावी ढंग से हमारे बंदों को मिल सके ।

मैं इसके साथ ही साथ एक बात कहना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी इस दिशा में अच्छा काम कर रहे हैं । मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ । महाराष्ट्र का उदाहरण देना चाहता हूँ । छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन से जुड़ा हुआ एक प्रसंग है । छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज थे छत्रपति शाहूजी महाराज । वे रोज बाणगंगा में स्नान करने के लिए जाते थे । जब वे बाणगंगा में स्नान करने के लिए जाते थे, उनके जो पुरोहित थे, वे उनको वैदिक मंत्रों के स्थान पर पुराणों के मंत्र सुनाया करते थे । एक दिन उनको जब इसका रहस्य मालूम चला तो वे बहुत नाराज हुए और उन्होंने उनको पुरोहित पद से अलग कर दिया । उसके बाद प्रजापति समाज का जो व्यक्ति था, उस समाज के व्यक्ति को संस्कृत पढ़ने के लिए काशी भेजा । वहां से बुलाकर उसको राजपुरोहित नियुक्त किया गया । तब से लेकर कोल्हापुर में यह परम्परा अभी तक चली आ रही है ।

17.00 hrs (Shri Bharatruhari Mahtab *in the Chair*)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमने जो धोबी, प्रजापति, खटीक, भूरिया, मल्लाह समाज की बात की तो इन सारी जातियों के संबंध में बात यह है कि हमारे देश में ऐसी कई जातियां हैं, जो एक राज्य में एस.सी. में हैं और बाकी राज्यों में वे 'सामान्य' श्रेणी में या ओबीसी में है । इसके संबंध में एक सम्पूर्ण विधेयक लाने की आवश्यकता है । सम्पूर्ण विधायक लाकर इस तरह की विसंगतियों को समाप्त करके इन सारी जातियों को पूरे देश में अनुसूचित जाति का लाभ दिया जाए, ताकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना है कि 'सब समाज को लिए साथ में, आगे है बढ़ते जाना', इस काम को आगे करने का काम देश के प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है । मुझे पूरा विश्वास है कि 'मोदी जी हैं तो मुमकिन है ।' उनके आने के बाद अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए जिस तरह से योजनाएं बनाई गई हैं, आने वाले दिनों में निश्चित रूप से हमारे आदरणीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जी के द्वारा इस दिशा में पहल की जाएगी और इस तरह का बिल लाया जाएगा, ताकि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग जातियों की जो विसंगतियां हैं, उन्हें समाप्त करके उसका लाभ देश में सभी को मिल सकेगा ।

इसके साथ ही साथ, तमिलनाडु राज्य के संबंध में जो बिल लाया गया है, उस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

श्री सय्यद ईमत्याज जलील (औरंगाबाद): महोदय, जो लोग यह दावा कर रहे हैं कि एस.सी. समाज का बहुत भला हो रहा है, उनकी आँखें खोलने के लिए मैं कुछ आँकड़े आपके सामने लेकर आया हूं । यह अलग बात है कि अपनी सरकार में रहते हुए 'सब कुछ अच्छा हो रहा है', यह बताना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन कहीं न कहीं अपने समाज की तरफ भी आपकी कोई जिम्मेदारी बनती है, इसके ऊपर भी ख्याल करने की जरूरत है । नेशनल क्राइम रिकॉर्ड

ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) का एक डेटा बताता हूं । A total of 45,935 cases were registered for crimes/atrocities against Scheduled Castes in the year 2019. इसके अन्दर जो डेटा बताया गया है, उसमें वर्ष 2015 में एस.सीज़./एस.टीज़. के विरुद्ध 38,600 क्राइम्स हुए थे । वर्ष 2019 के अन्दर इसका आँकड़ा बढ़ कर 45,900 हो गया है यानी इसके अन्दर 19 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है । इसके अन्दर जिस राज्य को सबसे ज्यादा होने का सेहरा जाता है कि हमारे राज्य में सबसे ज्यादा एस.सीज़. के खिलाफ क्राइम्स हुए हैं तो वह उत्तर प्रदेश है । ये डेटा मेरे नहीं हैं, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा हैं । दूसरे नम्बर पर राजस्थान आता है । इसी डेटा में यह बताया गया है कि मध्य प्रदेश, बिहार और गुजरात, ये तीन राज्य ऐसे हैं, जहां पर सबसे ज्यादा एस.सीज़. के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं । ये डेटा मेरे नहीं हैं, ये एन.सी.आर.बी. के डेटा हैं, जो सरकार की तरफ से निकाले जाते हैं ।

दूसरी बात यह है कि अभी कुछ दिनों पहले राज्यसभा में एक प्रश्न के जवाब में बताया गया है - of the total 4,78,600 prisoners, जो क़ैदी देश भर के जेलों के अन्दर बंद हैं, उनमें एस.सीज़., एस.टीज़. और ओबीसीज़ की संख्या कितनी है तो आपके ही सरकार के मंत्री ने जवाब दिया है कि 65.9 प्रतिशत हैं, जो लोग अलग-अलग जेलों में बंद हैं । उनमें अगर एस.सीज़., एस.टीज़. और ओबीसी को मिलाते हैं तो यह करीब-करीब 66 प्रतिशत है । यह आपके ही सरकार के मंत्री ने जवाब दिया है । इसके अन्दर भी अगर सबसे ज्यादा एस.सीज़. के क़ैदी जेलों में बंद हैं तो उसका श्रेय भी उत्तर प्रदेश सरकार को जाता है । ये मेरे डेटा नहीं हैं, इसे आपके ही मंत्री ने जवाब देते हुए बताया है ।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक सवाल करना चाहता हूं । हम गुजरात गए थे । गुजरात के बहुत सारे ट्राइबल लोग हमसे मिलने के लिए आए थे । हम सरकार से जवाब चाहते हैं । आपने जिस 5,000 करोड़ रुपये का सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब का स्टैच्यू बनाया है, उसके अतराफ अब आपने एक ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके जरिए 122 गांवों के आदिवासियों को जमीन खाली करने का हुक्म दिया गया है क्योंकि सरकार चाहती है कि वहां पर टूरिज्म के प्रोजेक्ट्स बनाएं जाएं । हम चाहेंगे कि मंत्री जी आप अपना जवाब देते

वक्त इस बात का खुलासा करें कि कितने सारे ट्राइबल्स को गुजरात के उन 122 गांवों से आप खाली करवाने जा रहे हैं ।

महोदय, अगर आप वैकेन्सीज की बात करते हैं तो कितनी सारी वैकेन्सीज हैं? यह प्रश्न पूछा गया कि how many vacant reserved posts are there for SCs, STs and OBCs in Central Universities, तो इसका जवाब भी 15 मार्च, 2021 को रमेश पोखरियाल साहब, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने दिया है ।

एससीज़ की 2,847 वैंकेसीज़ हैं । हमारे जो हाई प्रोफाइल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ की हम बात कर रहे हैं । एसटीज़ की 1,686 वैंकेसीज़ हैं । उसी तरह से सेन्ट्रल गवर्नमेंट की जो छह मिनिस्ट्रीज हैं, उनके अंदर आपकी जो वैकेंसीज़ हैं, वह 60 परसेंट हैं । 60 परसेंट वैकेंसीज़ महज आठ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर हैं । इसके अंदर एससीज़, एसटीज़ और ओबीसीज़ हैं ।

सर, कुछ देर पहले जब मैं यह भाषण देने लिए यहाँ आ रहा था तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ट नेता सुनील तटकरे साहब बड़े जोश के साथ भाषण दे रहे थे । वह यह कह रहे थे कि हमारे मराठाओं को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए । सरकार ने यह किया है, धनगरों को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए । मैं उनसे यह सवाल करना चाहता हूँ कि जब आपकी सरकार थी, उस वक्त आपने क्यों नहीं यह फैसला लिया । उनका भाषण सुनकर मुझे ऐसा लगा कि गिरगिट को भी शर्म आ जाए कि हमारे राजनेता कैसे रंग बदलते हैं । जब वह सरकार के अंदर थे, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेन्द्र फडणवीस साहब थे, जिनको माइनॉरिटी से कोई लेना-देना नहीं है । देवेन्द्र फडणवीस साहब शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहते थे कि आप माइनॉरिटी को रिजर्वेशन दीजिए, मुसलमानों को दीजिए । आज जब सत्ता के अंदर हैं तो वह बिल्कुल खामोश है । आज एक जिक्र भी नहीं किया जा रहा है कि मुसलमानों के रिजर्वेशन के बारे में भी बात की जाए ।

सर, हमारा यही कहना है कि एससीज़ तथा एसटीज़ का मतलब यह नहीं है कि बाबा साहब अंबेडकर की जयंती आएगी, हम लोक सभा और पार्लियामेंट बिल्डिंग को रौशनी से सजा देंगे, अंबेडकर साहब के पुतले पूरे देश भर में सजा

देंगे । हमें उनके सोशियो-इकोनॉमिक बैकग्राउण्ड के बारे में सोचना है । 70 सालों से क्यों यह समाज आज पिछड़ा हुआ है । इस समाज की झोपड़ पट्टियों के अंदर हम देसी दारू की दुकानें सजाते हैं । वहाँ पर शिक्षा का प्रावधान क्यों नहीं किया जाता है? 70 सालों के बाद भी हम उन्हीं मुद्दों के ऊपर बहस कर रहे हैं । बाबा साहब अंबेडकर ने बताया था, उन्होंने यह भी बताया था कि इस समाज को इस प्रकार का काम नहीं करना चाहिए । क्या यह समाज की जिम्मेदारी नहीं है कि अपने इलाकों से देसी दारू तथा शराब के अड्डों को बंद कराया जाए? आपकी बस्तियों के अंदर ये शराब के ठेके क्यों खोले जाते हैं? कहीं न कहीं उस समाज के नेताओं को सोचने की जरुरत है ।

सर, मैं समझता हूँ कि इस मुद्दे के ऊपर हम बार-बार चर्चा करते हैं । एक बार संजीदगी से इसके बारे में कुछ न कुछ फैसला होना चाहिए और हम यह उम्मीद कर रहे हैं ।

सर, आप गुजरात के 122 ट्राइबल विलेजेज को खाली करवा रहे हैं, उसके बारे में क्या स्थिति रहेगी, यह आप बताइए । नर्मदा आंदोलन कितने सालों तक चला, यह आप अच्छी तरह से जानते हैं । ये ट्राइबल्स भी खामोश नहीं बैठने वाले हैं । हम वहाँ जाकर उनको भी ताकत देंगे । आप इस तरह से ट्राइबल्स व आदिवासियों के 122 गाँवों को खाली कराएंगे और वहाँ पर टूरिज़्म का प्रोजेक्ट्स लगाएंगे तो यह बहुत गलत बात है ।

PROF. RITA BAHUGUNA JOSHI (ALLAHABAD): Sir, thank you for allowing me to speak on this very important issue. I rise here in support of the Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill, 2021 to modify the list of Scheduled Castes in the State of Tamil Nadu as introduced by the hon. Minister of Social Justice and Empowerment.

I feel that it is incumbent on every civilised society to give respectability to its citizens, especially so in a democracy like ours which has provided in its Constitution equal opportunities and equality

to every citizen of this nation. Yet we are debating on a Bill which, I think, should have been passed without any debate in the House today.

What is the Bill that we are bringing in today? I compliment the Government of India, especially the Prime Minister, who had promised a group of people that the least we could do is to give respectability to them. So, the Government of India has introduced an amendment, through this Bill, which was forwarded by the Government of Tamil Nadu.

What is it all about? A group of seven castes want a new nomenclature. They want to be known collectively as Devendrakula Velalar. I associate myself with all the historical background that has been provided by other Members. I will not dwell into that. But I was just wondering and thinking about this caste, the Devendrakula Velalar. The history of this caste is replete with injustices. Just imagine a situation where this caste enjoyed a lot of titles. It enjoyed respectability in the society. They had temples, they had big lands, they were cultivators and they were warriors. But in three centuries, commencing from the 17^{th} century, their position declined gradually in the society.

They were dispossessed of their title; they were dispossessed of their land; they were dispossessed of all their respectability. Think of a situation when people who were the masters of their land became labourers in their own fields in their own lands. They were cultivators, they were warriors, and yet these seven castes, Devendrakula Velalar broke up and different sub-castes were doing different kinds of activities. For instance, the Devendrakulathan were agriculturists, Kaidaiyan were into fishing, the Kalladis were in mat making and Kudumban were agricultural labourers and Pallam and Pannadi enjoyed

cultivation. Now, these people have been struggling for decades for respectability. They are not asking for any material support from you. They even do not want to be in the Scheduled Caste category. That matter is *sub judice* whether it can exceed 50 per cent reservation or not and any State Government can do that or not. So, that will come in later. But we have been seeing in the papers that thousands of them collect periodically and demand respectability. Now, what have the Government of Tamil Nadu asked for? The request of the Government of Tamil Nadu is to permit them to issue caste/community certificates to the people belonging to the seven castes who are in the Scheduled Caste list as Devendrakula Velalar and without any mention of their previous caste. That is all. They have also said that the Kadaiyan who pursue fishing can also be referred to in the Caste certificate. They are asking for nothing. It does not involve any financial liability on any Government. It is only giving respectability. I would just like to quote Baba Saheb Bhim Rao Ambedkar. Dr. Bhim Rao Ambedkar had said: "No race can be raised by destroying its self-respect". At a point he said, "You have no land because others have usurped them. You have no post because others have monopolized them. Learn to live in the world with self-respect".

Sir, for all of us, the first pre-requisite for self-advancement or moving forth is self-respect. I tell all the women that if they are devoid of self-respect, they can never grow and they can never achieve their desires or their wish. So, we need self-respect, and we are giving nothing in this amendment except self-respect to this group of people. But here we find that many people are opposing it. They are bringing in so many stories. There are a lot of people who are looking for upward mobility, there are a number of backwards who want to move into the Scheduled Caste category. 17 sub-castes in UP have been struggling for

decades to go into the SC category because they are being denied the kind of support or benefits that are being provided to the backward community. There are people in the Scheduled Caste community who want to shift into the Scheduled Tribe community. So, upward mobility is required. People want it whichever way it can come, whether it can come through caste certificates, whether it can come through any Government policies or whether they can achieve it by moving from one group to another. This is their right to ask for it. Some of the speakers have asked for reservation for certain castes in different categories and I also agree with this. I have Kol community in my constituency in big numbers. The Kols are STs in Madhya Pradesh and in my constituency they are SCs. The other issue is with Dhangad and the Dhangar. In English, you cannot type Dhangad. You have to type Dhangar. Now, the Government has told the States that it can give out certificates, but the DMs are not giving certificates. They said तुम धनगड़ नहीं हो, तुम धनगर हो । कैसे आप अंग्रेजी में धनगड़ लिखेंगे? आप वह भाषा समझाइए । मैं यही कहना चाहती हूं कि हम सम्मान देना चाह रहे हैं तो उसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए । मैं तो कहती हूं कि एक लार्जर डिस्कशन होना चाहिए । हमारे जो कास्ट ग्रुप्स हैं, जिनको हमने आरक्षण दिया है, उनमें भी कुछ ही लोगों को उस आरक्षण का लाभ मिल रहा है । क्यों नहीं उन ग्रुप्स को भी सब-कास्ट्स में बांटकर हम आरक्षण को भी बांटें? This is a very pertinent issue which needs to be debated. It should happen. So, I would say that all that the Devendrakula Velalar is asking for is respectability. They have been enjoying respectability in the past. They have been relegated to a situation of disrespect. They want to get it back.

As we all know, the State Government wanted to do it. The court said that it requires a legislative amendment and they have come to us. If they have come to the Government of India, I compliment the Prime

Minister and the Minister for Social Justice for bringing in their demand to us in the form of an Amendment Bill. It should be passed because under Article 341 of the Constitution of India, it is the Union Government that is the nodal agency for notification of Scheduled Castes. However, the subject of identification of castes and communities, issuance of caste certificate, and verification thereof rests with the State Governments and Union Territory Administrations concerned.

The Government of Tamil Nadu has proposed that they should be permitted to issue caste and community certificates to the people belonging to these seven castes who are in the Scheduled Castes list as Devendrakula Velalar without any mention of the previous sub-castes in brackets, which should be admitted and accepted. Further, those who want to be known as Kadaiyans may also be accepted. This is the issue before the House. So, I plead with the House to pass it unanimously.

Some of our Members were talking that the Government is doing nothing for the Scheduled Castes. I would like to beg your pardon. The amount of affection and concern that the NDA Government under Shri Narendra Modi ji has for the have-nots, for the communities that are totally dispossessed of any facility can be seen through the programmes that are being brought by this Government. All activities of this Government are directed towards the poor whether it is housing, toilets, giving out Golden Cards for health or all the other programmes all are benefiting the poorest of the poor.

Excuse me, but I would like to tell the speaker who has spoken before me that the maximum beneficiaries of the Government programmes are the SCs, the most backward, the Muslims and the

minorities. You can go and look into the details. Now, I am talking about UP. …(*Interruptions*) You were talking about NCRB data. …(*Interruptions*)

SHRI SYED IMTIAZ JALEEL : I have the Government data with me, and I am not speaking on my own. …(*Interruptions*)

PROF. RITA BAHUGUNA JOSHI : You have not seen the NCRB data. …(*Interruptions*) Please look into the NCRB data. …(*Interruptions*) I will have a discussion with you outside. …(*Interruptions*)

SHRI SYED IMTIAZ JALEEL : Please go through the website and check it. …(*Interruptions*)

PROF. RITA BAHUGUNA JOSHI : Yeah, you also go back and look into the NCRB data. …(*Interruptions*) They have said that the best performance of any Government to contain crime in India in 2019-2020 was Uttar Pradesh. Please go and see it. When you look into the data, you will realise that the Government is doing its best. But I will agree with you that all in the society need to change from within and I would ask you also to please take care of your women, which is badly required. …(*Interruptions*) All societies evolve, so, you also evolve. Thank you very much, Sir.

HON. CHAIRPERSON : I believe that the deliberation is complete now.

Now, I invite the Minister.

श्री थावर चंद गहलोत: माननीय सभापति महोदय, इस विधेयक पर तेरह माननीय सदस्यगणों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किए हैं । सभी माननीय सदस्यों ने इस विधेयक का समर्थन किया है, परंतु उन्होंने कुछ अन्य मुद्दों की ओर भी ध्यान दिलाया है ।

मैं सबसे पहले विधेयक के बारे में चर्चा करना चाहूंगा और उसके बाद जो अन्य मुद्दे उठाए गए हैं, उस पर चर्चा करूंगा । जैसा मैंने पहले बताया कि विधेयक में सात जातियों को समाहित करके एक जाति के नाम जाना जाए, इस प्रकार का प्रावधान है । अभी यह अलग-अलग क्रम पर उल्लिखित हैं, इस विधेयक के पारित होने के बाद केवल दो क्रमांक पर उल्लिखित हो जाएंगी – क, प्रविष्टि **17** के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी- देवेन्द्रकुला वेलालर ।

यह इन सात जातियों का एक नाम होगा, बाकी ये सात जातियां सम्मिलित होंगी । प्रश्न उठेगा कि जब एक जाति बना रहे हैं तो इन सात जातियों को विलोपित क्यों नहीं कर रहे । ये सात जातियां ऐसी हैं जिनके प्रमाण-पत्र अनेक वर्षों से बनाए गए, ये अमान्य न हों, इसलिए इन सात जातियों का उल्लेख ब्रैकेट में किया जाएगा । मुख्य जाति देवेन्द्रकुला वेलालर हो, इससे किसी को न तो कोई आर्थिक लाभ या हानि होगी, न सरकार पर वित्तीय भार पड़ेगा और न ही किसी और प्रकार का प्रभाव पड़ेगा । केवल इन सात जातियों को देवेन्द्रकुला वेलालर नाम देने से सम्मान मिलेगा, ऐसी इन सारी जातियों के लोगों की भावना है ।

कड्डयन जाति तिरुनेलवेली, तूतूकोड़ी, रामनाथपुरम, पुदुकोट्टई, तंजावुर, तिरुवरूर और नागापट्टनम जिलों के तटवर्ती क्षेत्रों को छोड़कर कड्डयन जाति को छोड़ दिया जाएगा और बाकी जातियां सम्मिलित रहेंगी । कल्लादी, कुडुम्बंन, पल्लन, पन्नाडी, वातिरियन, ये सब जातियां तमिलनाडु में देवेन्द्रकुला वेलालर के नाम से जानी जाएंगी ।

प्रविष्टि 26 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी अर्थात् कड्डयन जाति तिरुनेलवेली, तूतूकोड़ी, रामनाथपुरम, पुदुकोट्टई, तंजावुर, तिरुवरूर और नागापट्टनम जिलों में कड्डयन जाति को इसी नाम से जाना जाएगा और बाकी पूरे

तमिलनाडु में देवेन्द्रकुला वेलालर के नाम से जानी जाएगी । इन पांच जिलों में इसी नाम से जानी जाएगी ।

प्रविष्टि 28, 33, 49, 52 और 54 का लोप किया जाएगा । इन सात जातियों को क्रमांक 17 में सम्मिलित करने के कारण जिस क्रमांक में उल्लिखित है, वहां से विलोपित कर दिया जाएगा । केवल इस विधेयक में इतना प्रावधान है । इस विधेयक का सबने समर्थन किया है, मैं सबको धन्यवाद देता हूं और अपील करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाए ।

अन्य मुद्दों के बारे में बहुत चर्चा हुई है । मैं उन मुद्दों का संक्षिप्त में उत्तर देना चाहूंगा । सबसे मैं कहना चाहता हूं कि नरेन्द्र मादी जी जब प्रधान मंत्री बने, तो उन्होंने पहले भाषण में कहा था कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार होगी । उन्होंने जो कहा उस पर लगातार अमल किया जा रहा है । इसके अनेक उदाहरण हैं और अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं । उन ऐतिहासिक निर्णयों के कारण सामाजिक समता और समरसता लाने में सहायता मिल रही है । निश्चित रूप से अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के सामाजिक और आर्थिक विकास में अनेक प्रकार की प्रगति हो रही है ।

गुरजीत सिंह औजला जी ने उल्लेख किया था कि अन्याय और अत्याचार बढ़ रहे हैं । राज्यों के नाम भी लिए और कहा कि यहां अत्याचार की संख्या बढ़ रही है । आप और यह सदन जानता है कि कानून व्यवस्था राज्यों का विषय है । राज्य इस पर कार्रवाई करते हैं । केंद्र की ओर से हम समय-समय पर राज्यों के साथ संपर्क करते हैं और जहां अपराध बढ़ते हैं उनसे बातचीत करके अपराधों को कम करने का प्रयास करते हैं । मैं बताना चाहता हूं कि वर्ष 1989 में अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम बनाया गया था । उस अत्याचार निवारण अधिनियम में कुछ खामियां महसूस हुईं । नरेंद्र मोदी जी की सरकार के दौरान वर्ष 2015 में उसमें संशोधन किया गया और 22-23 नए अपराध, जो पहले वाले कानून में नहीं थे, उनको जोड़कर इस कानून को मजबूत बनाने का काम किया गया है । उस कानून के माध्यम से अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के साथ अन्याय रोकने का प्रयास किया जाता है और जो अपराधी हैं, उनको दंड दिलाने का

प्रयास किया जाता है । जो पीड़ित परिवार हैं, उसको आर्थिक सहायता दी जाती है । अपराधी को दंड दिलाकर उसको न्याय दिलवाने का प्रयास भी किया जाता है । ऐसा करने के लिए हम समय-समय पर वकील की सहायता भी देते हैं । कानूनी सहायता देने के लिए एक नहीं, अनेक ऐसे प्रावधान किए गए हैं । वर्ष 2018 के अधिनियम द्वारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को हटा दिया गया है । पहले बीच में एक कानून बन गया था कि बिना जांच किए एफआईआर दर्ज कार्रवाई की जाए, परन्तु, इस कानून में हमने सुधार किया कि प्राथमिकी दर्ज करने के लिए किसी प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं है । एफआईआर दर्ज की जाएगी और एफआईआर दर्ज करने के बाद संबंधित थाने के पुलिस अधिकारी या जिसको वे नियुक्त करेंगे, उसके द्वारा जांच करने के बाद ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी । आवश्यक होगा, तो गिरफ्तारी भी होगी । इस प्रकार हमने कानून में सुधार करने की कोशिश की है ।

उन्होंने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का उल्लेख किया है, अन्य माननीय सदस्यों ने भी इसका उल्लेख किया है । मैं बताना चाहता हूं कि अभी तक जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दी जाती थी, वह केंद्र प्रायोजित थी । परन्तु, उसके लिए एक फार्मूला था । उस फार्मूले के अंतर्गत कमिटेड लायबिलिटी का प्रावधान था । यह कमिटेड लायबिलिटी का प्रावधान पहले वाली सरकारों में भी था और वर्तमान सरकार में भी है । अब हमने उसको चेंज कर दिया है । उस कमिटेड लायबिलिटी के माध्यम से, जो कमिटेड लायबिलिटी राज्यों की बनती थी, उसका परिणाम यह होता था कि कुछ राज्यों को केंद्र से एक भी पैसा नहीं मिलता था, अभी स्थिति ऐसी आ गई थी कि 36 राज्यों में से आधे राज्यों को या तो कोई पैसा नहीं मिलता था या मिलता भी था तो बहुत कम मिलता था । इसी कारण हमने एक फार्मूला बनाया । कई राज्यों को कोई पैसा नहीं मिलता है, यह ठीक नहीं है । केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में केंद्र का कुछ हिस्सा हो । शिक्षा राज्य का विषय है । इसलिए, यह राज्य की भी जिम्मेदारी है और केंद्र की भी जिम्मेदारी है । इस जिम्मेदारी को निभाते हुए केंद्र सरकार ने एक नियम बनाया कि 60 परसेंट केंद्र देगी और 40 परसेंट राज्य देगी । इसका परिणाम यह निकलेगा कि अभी तक हम जिस फार्मूले के आधार पर पैसा देते थे,

उसमें साल भर में राज्यों को केवल एक हजार करोड़ रुपया देते थे । इस नए फार्मूले के कारण अब हम लगभग पांच हजार करोड़ एक साल में देना चालू कर देंगे । वह इसी साल से देना चालू कर देंगे । मार्च तक हम कई राज्यों को देने का प्रयास कर रहे हैं और करेंगे भी । इस फार्मूले के आधार पर हम अगले पांच सालों में लगभग 55 हजार करोड़ रुपये राज्यों को देने वाले हैं । इसके कारण चार करोड़ विद्यार्थियों को लाभ मिलने वाला है । केंद्र सरकार की ओर से 35500 करोड़ से अधिक रुपये इस व्यवस्था में खर्च किए जाएंगे । यह बहुत बड़ा ऐतिहासिक परिवर्तन है । इसका लगभग सभी राज्यों ने समर्थन किया है । अभी तक हमारे पास किसी भी राज्य से नकारात्मक जानकारी नहीं आई है ।

उन्होंने यह भी कहा था कि सफाई कार्य करने वाले मजदूरों के लिए आधुनिक यंत्रों का उपयोग करना चाहिए । इसके लिए हमने प्रयास किया है । आजकल, जो सीवेज टैंक या नाली साफ करने का काम करते हैं, वे हाथों से करते थे । उसको कम करके यंत्रों के माध्यम से सफाई करने की कोशिश की जाएगी । कानून में संशोधन करके ऐसा प्रावधान भी बना दिया गया है । मैं कह सकता हूं कि आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी की इस सरकार में हर साल अनुसूचित जाति के कल्याण के संबंध में बजट में अत्यधिक वृद्धि की जा रही है । पिछले साल 83,000 करोड़ रुपये का प्रावधान था । इस साल के बजट में 1,26,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है । पिछले साल विभाग के बजट में 8,207 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया था । इस साल 10,517 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है ।

जैसा कि मैंने बताया है कि बजट में निरंतर वृद्धि होने के कारण अनुसूचित जाति वर्ग के उत्थान की योजनाओं को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में मदद दी जा रही है । माननीय रमुलु जी ने कहा था कि अनुसूचित जातियों का उप-श्रेणीकरण किया जाए । उप-श्रेणीकरण करने वाला मामला वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है । पंजाब बनाम देवेन्द्र नाम के वाद के अंतर्गत इस पर सुप्रीम कोर्ट में विचार किया जा रहा है ।

माननीय सभापति : अमर सिंह जी, आपने जितने भी प्रश्न उठाए हैं, आपको उनका उत्तर तो सुनना ही पड़ेगा।

…(व्यवधान)

श्री थावर चंद गहलोत : महोदय, माननीय सुनील दत्तात्रेय जी ने तमिलनाडु का मामला उठाया है । तमिलनाडु में 69 प्रतिशत आरक्षण का मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है । मराठा आरक्षण का मामला भी विचाराधीन है । ओबीसी एक ऐसा वर्ग है, जिसकी राज्यों की सूची अलग है और केन्द्र की सूची अलग है । राज्य अपने अधिकार क्षेत्र में ओबीसी को आरक्षण देने संबंधी निर्णय ले सकते हैं । उस पर केन्द्र का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है । यह आरक्षण भी इसी प्रकार का है । इस आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है और वह उस पर विचार-विमर्श कर रहा है, जिसमें राज्य ही पैरवी कर रहा है । हमें राज्य और सुप्रीम कोर्ट के बीच में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है । हमारा रुख सकारात्मक है । परंतु सुप्रीम कोर्ट हमसे इस विषय पर कोई जानकारी मांगेगी, यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि अपील भी राज्य सरकार ने की है और सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की ही तरफ से पैरवी की जा रही है । इस प्रकार की कानून-व्यवस्था को राज्य के माध्यम से ही आगे बढ़ाने का काम किया जा सकता है ।

मैंने अत्याचार निवारण के बारे में बताया है । उप-श्रेणीकरण करने के बारे में विचार हो रहा है । परंतु आज की स्थिति में किसी उचित फोरम पर इस विषय पर कानूनी प्रावधान बनाने का प्रस्ताव नहीं है । जैसा कि मैंने बताया है कि ओबीसी कैटेगरी में राज्यों की सूची अलग-अलग है । उसी प्रकार से प्रदेशों में अलग-अलग जिलों में अलग-अलग जातियां वर्गीकृत की गई हैं और उसका कारण सामाजिक और आर्थिक स्थिति है । जब इन जातियों का सर्वे हो रहा होगा, उस सर्वे के दौरान एक ही जाति कुछ क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से संपन्न पाई गई होंगी, इस कारण से उनको अनुसूचित जाति में नहीं रखा गया है । कुछ जिलों में सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े माने गए होंगे, इस कारण से उनको अनुसूचित जाति में रखा गया है ।

अनेक माननीय सदस्यों ने कई जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने के भी सुझाव दिए हैं । मैं यह बताना चाहूंगा कि इस विषय में एक नियम है । अगर राज्य सरकार किसी जाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में मिलाना चाहे या उससे विलोपित करना चाहे, तो वह एक प्रस्ताव बनाकर केन्द्र सरकार को भेजेगी । केन्द्र सरकार उस प्रस्ताव को रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (आरजीआई) को भेजेगी । यदि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया उस पर यस करता है, तो हम वह प्रस्ताव संबंधित आयोग को भेजते हैं ।

यदि आयोग उस पर सहमति देता है तो फिर सरकार उस पर विचार करती है । विचार करने के बाद कैबिनेट नोट बनता है । वह कैबिनेट में जाता है और अगर उसको कैबिनेट स्वीकृति देता है तो विधेयक के रूप में सदन में लाया जाता है और संसद उस पर निर्णय करती है । अभी कई मुद्दों को उल्लिखित करके मांग की गई कि इन जातियों को अनुसूचित जाति में मिलाया जाए । इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद या तो निरस्त कर दिए गए हैं या विचाराधीन हैं । मेरे यहां पर जो विचाराधीन मामले हैं, मैं उनके बारे में भी जानकारी दे सकता हूँ । कुछ जातियों के बारे में विचार-विमर्श जारी है । माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद अभी तक छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल मध्य प्रदेश, ओडिशा, त्रिपुरा, दादर व नगर हवेली, सिक्किम, पश्चिम बंगाल आदि ऐसे प्रांतों में 26 जातियों को शामिल किया गया है । नमोशूद्र, पोंड्रा व पोंड्र जातियों को अनुसूचित जाति में मिलाने का विषय है, जो मेरे विभाग में विचाराधीन है । विचार करने के बाद जैसा उचित लगेगा, वैसा हम करने वाले हैं । ओडिशा की एक जाति को रिमूव करने की बात है । Removal of area restriction in respect of Mangali caste, ये आयोग के पास है । इस पर अभी आयोग विचार कर रहा है । इस तरह से कर्नाटक की कुछ जातियां हैं, जिस पर आरजीआई स्तर पर विचार हो रहा है । इसी प्रकार से झारखण्ड की जाति पर आरजीआई विचार कर रहा है । इसके अलावा मध्य प्रदेश की भी जातियां हैं । बेलदार जाति को भी अनुसूचित जाति में मिलाने का मामला है । यह भी आरजीआई के पास है । अगर आरजीआई हमें सकारात्मक जवाब देगी तो हम उस पर आगे कार्यवाही करेंगे । इसके साथ ही साथ वीरेन्द्र कुमार जी ने अनुसूचित जातियों का राज्यवार

विनिर्देश का एक मामला उठाया था । अनेक माननीय सदस्यों ने इस बारे में अपनी चिंता व्यक्त की है कि कुछ जातियों को किसी एक राज्य में अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है, लेकिन अन्य राज्यों में मान्यता प्रदान नहीं की जाती है । यह एक सच्चाई है और मैंने इसके बारे में बताया है । सन् 1950-55 के करीब जातियां बनी थीं और जब उनमें 5-6 बार संशोधन हुए तो उस समय के सर्वे में सामाजिक और आर्थिक आधार पर आंकलन किया गया था । उस आकलन के अनुसार जो जातियां अनुसूचित जाति के योग्य पाई गईं, उनको उसमें सम्मिलित किया गया । बाकी को ओबीसी या सामान्य में रखने की कोशिश की गई । मैं इस अवसर पर यह भी बताना चाहता हूँ ।...(व्यवधान)

माननीय सभापति: मंत्री जी, वीरेन्द्र कुमार जी का प्रश्न था कि मध्य प्रदेश के कुछ जिले में कुछ कास्ट्स को अनुसूचित जाति के हिसाब से माना जाता है तथा दूसरे जिलों में नहीं माना जा रहा है । एक ही राज्य के कुछ जिलों में अनुसूचित जाति के हिसाब से उन्हें माना जाता है और कुछ दूसरे जिलों में माना नहीं जाता है । यह वीरेन्द्र जी का एक प्रश्न था ।

श्री थावर चंद गहलोत : मैंने उसी का जवाब दिया है । मैं यदि स्पष्ट नहीं कर पाया तो फिर से दोहरा देता हूँ । सन् 1955 या 1950 के पहले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की कैटेगरियां बनाने का जब सर्वे हुआ था तो उस समय उन जातियों का सामान्य स्तर उच्च था, आर्थिक स्तर उच्च था, जिस कारण से उन्हें अनुसूचित जाति में सम्मिलित नहीं किया गया । वही जाति अगर दूसरी जगह पर सामाजिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी थी, तो उसे अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया । यह निर्णय उस समय की सरकार ने लिया था । आज भी जब इन जातियों को अनुसूचित जातियों में मिलाने के लिए प्रस्ताव आते हैं, तो आरजीआई उसी आधार को देखकर निर्णय करती है और अपनी राय देती है । उस समय जो आधार बना था, उसके आधार पर वह हमें यह कहती है कि इस जाति को अनुसूचित जाति में मिलाने की आवश्यकता नहीं है । यह बात सही है कि ऐसी स्थिति हर राज्य में है कि कोई जाति चार जिलों में अनुसूचित जाति है, छः जिलों में ओबीसी है और बाकी जिलों में सामान्य वर्ग में है । ऐसा हर राज्य में है । इस दुविधा को दूर करने की दृष्टि से इस प्रकार की

व्यवस्था की गई है कि राज्य सरकार प्रस्ताव भेजेगी कि अमुक जाति को अनुसूचित जाति में मिलाया जाए या उसको हटाया जाए । प्रस्ताव आने के बाद, उसे हम आरजीआई को भेजते हैं और आरजीआई अगर सकारात्मक राय देती है, तो उसे हम संबंधित आयोग को भेजते हैं और अगर आयोग भी सकारात्मक राय देता है तो फिर वह सरकार के पास आता है । सरकार कैबिनेट नोट बनाकर कैबिनेट में जाती है और कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद, उसे विधेयक का रूप देकर हम संसद में आते हैं और अंतिम निर्णय करने का अधिकार संसद को ही है । इस आधार पर निर्णय होता है ।

महोदय, अब मैं निवेदन करता हूं कि यह विधेयक पारित किया जाए ।

HON. CHAIRPERSON : The question is:

> "That the Bill further to amend the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 to modify the list of Scheduled Castes in the State of Tamil Nadu be taken into consideration."

The motion was adopted.

HON. CHAIRPERSON: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2 Amendment of Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950

HON. CHAIRPERSON: Shri N.K. Premachandran – not present.

Shri Jasbir Singh Gill to move amendment No.3 to clause 2.

SHRI JASBIR SINGH GILL (KHADOOR SAHIB): Sir, I beg to move:

Page 2, lines 4 and 5, -

for “excluding in the coastal areas of”.

substitute “in the districts of”. (3)

HON. CHAIRPERSON: I shall now put amendment No. 3 moved by Shri Jasbir Singh Gill to clause 2 to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That clause 2 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

श्री थावर चंद गहलोत : मैं प्रस्ताव करता हूं:

“कि विधेयक पारित किया जाए ।”

HON. CHAIRPERSON: The question is:

“That the Bill be passed.”

The motion was adopted.

17.43 hrs

PRIVATE MEMBERS' RESOLUTION

RE: WELFARE MEASURES FOR

ANGANWADI WORKERS AND ANGANWADI HELPERS – Contd...